प्रेस विज्ञप्ति
24.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय) ईडी(, लखनऊ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम) पीएमएलए(, 2002के प्रावधानों के तहत आरिफ अनवर हाशमी पूर्व विधायक उतरौला, बलरामपुर) 2007-2017 (और उनकी पत्नी श्रीमती रोजी सलमा से संबंधित आवासीय फ्लैट, कृषि और वाणिज्यिक भूमि के रूप में8 . 24करोड़ रुपये मूल्य की 21 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने आरिफ अनवर हाशमी, उनके भाइयों और अन्य साथियों के खिलाफ भा.दं.सं., 1860और अन्य अधिनियमों की विभिन्न धाराओं के तहत उप्र पुलिस द्वारा दर्ज कई प्रथमीकियों के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, ठगी और जालसाजी का आरोप लगाया गया है। उन्हें उप्र गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंगस्टर के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। वह अवैध अतिक्रमण और जमीन हड़पने में शामिल रहा है। उचित जांच के बाद, उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरिफ अनवर हाशमी और अन्य के खिलाफ अवैध अतिक्रमण, जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के अपराधों को स्थापित करते हुए कई आरोप पत्र भी दायर किए हैं।

ईडी की जांच में पता चला है कि आरिफ अनवर हाशमी वर्ष 1984 से अवैध अतिक्रमण और भूमि हड़पने के अपराधों में शामिल है। ईडी की जांच में भूमि रिकॉर्ड से संबंधित सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ ,दूसरों के साथ मिलीभगत करके अवैध लाभ के लिए भूमि की प्रकृति बदलने के लिए ग्राम पंचायतों का उपयोग करने और अतिक्रमित संपत्तियों पर व्यवसाय ,कॉलेज चलाकर भारी अवैध धन कमाने के कई मामले सामने आए हैं।

जांच से पता चला है कि जब्त की गई संपत्तियां अपराध से अर्जित की गई हैं और आरिफ अनवर हाशमी और उनकी पत्नी श्रीमती रोजी सलमा की आय के ज्ञात स्रोतों से बहुत अधिक हैं । उक्त संपत्तियां लखनऊ ,बलरामपुर और गोंडा) उत्तर प्रदेश (में स्थित हैं।

आगे की जांच जारी है।